प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी

दिनांक – 30.04.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी।**
- **संगठित गिरोह के रूप में अवैध ऑनलाइन सट्टा संचालन करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 04 स्मार्ट मोबाइल फोन व जामातलाशी में 5,320/- रुपये नगद बरामद।**
- **भिन्न-भिन्न सट्टा वेबसाइटों पर ऑनलाइन 8 करोड़ 05 लाख 49 हजार 138 क्वाइन्स का लेन-देन/संचालन पाया गया।**
- **अभियुक्तों के 09 बैंक खातों में सट्टे के लेन-देन से संबंधित 1,80,000/- रुपये की धनराशि फ्रीज़ कराई गई।**
- **अभियुक्तों द्वारा घर के अंदर संगठित तरीके से विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने व खिलवाने का अवैध कार्य किया जा रहा था।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सीपरी बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 23:33 बजे रात्रि में अभियुक्तगण 1. अंशुमान सिंह पुत्र श्री राजनाथ सिंह, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी महेन्द्रपुरी कॉलोनी, ग्वालियर रोड, थाना सीपरी बाजार, झाँसी तथा 2. अभिषेक पाठक पुत्र राकेश पाठक, उम्र 31 वर्ष, निवासी महेन्द्रपुरी कॉलोनी, थाना सीपरी बाजार, झाँसी को गिरफ्तार किया गया।

जिनके कब्जे से 04 स्मार्ट मोबाइल फोन, जामातलाशी में 5,320/- रुपये बरामद हुए तथा भिन्न-भिन्न वेबसाइट्स में क्वाइन के माध्यम से खेले जा रहे ऑनलाइन सट्टे से संबंधित कुल 8 करोड़ 05 लाख 49 हजार 138 क्वाइन्स पाए जाने पर दोनों अभियुक्तों के 09 बैंक खातों से सट्टे के लेन-देन से संबंधित 1,80,000/- रुपये फ्रीज कराए गए।

अभियुक्तों द्वारा संगठित होकर अवैध रूप से घर के अंदर भिन्न-भिन्न वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने व खिलवाने के संबंध में थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम व धारा 112 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर बरामद सामग्री व रुपये कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 29.04.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि महेंद्रपुरी कॉलोनी में अंशुमान सिंह पुत्र राजनाथ सिंह के घर पर कुछ व्यक्ति एकत्र होकर ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हैं व खिलवा रहे हैं।

सूचना पर उच्चाधिकारियों से प्राप्त सर्च वारंट के अनुपालन में थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा अंशुमान सिंह के मकान पर दबिश दी गई। सर्च वारंट दिखाते हुए तलाशी ली गई, जिसमें मौके पर 04 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी स्क्रीन चालू अवस्था में थी। उनमें super.omg98.com, agent.omg98.com, super.vkt99.in, agent.vkt99.in, rolex99.com व omg98.com वेबसाइट्स खुली हुई पाई गईं, जिन पर विभिन्न यूजर्स के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे से संबंधित कुल 8 करोड़ 05 लाख 49 हजार 138 क्वाइन्स का लेन-देन पाया गया। अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी से 5,320/- रुपये नकद बरामद किए गए।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि सट्टा खिलाने वाला मुख्य सरगना रवि कुशवाहा निवासी पठोरिया थाना कोतवाली, झांसी है, जिसके द्वारा वेबसाइट संचालित की जाती है। मेरे द्वारा इन वेबसाइटों पर रवि कुशवाहा से एजेन्ट व सुपर एजेन्ट की यूजर आईडी व पासवर्ड लिये जाते हैं। अपनी सुपर आईडी से एजेन्ट आईडी आगे ग्राहकों को देते हैं तथा एजेन्ट आईडी वाले ग्राहक क्लाइंट आईडी के माध्यम से आगे सट्टा खेलने वालों को देते हैं। रवि कुशवाहा मेरी सुपर आईडी व एजेन्ट आईडी में क्वाइन डालता है। एक रुपये का एक क्वाइन रवि कुशवाहा द्वारा मेरी आईडी में डाल दिया जाता है।

इसके बाद हम लोग आगे एजेन्ट व क्लाइंटों से रुपये अपने आईफोन 15 में चल रही पेमेंट एप फोनपे के माध्यम से लेकर ऊपर रवि कुशवाहा को भेज देते हैं। जब क्लाइंट जीतता है तो रवि कुशवाहा मेरे फोनपे पर पैसा भेज देता है, जिसे मैं क्लाइंट एजेन्टों को भेज देता हूं। इस प्रकार हम लोग लाइव मैच में विकेट गिरने पर, रन बनने पर, स्कोरबोर्ड के आधार पर क्वाइन के माध्यम से रुपये की बाजी लगाकर सट्टा खेलते हैं।

इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम व धारा 112 बी0एन0एस0 बनाम 1. अंशुमान सिंह पुत्र श्री राजनाथ सिंह उम्र करीब

40 वर्ष निवासी महेन्द्रपुरी कालोनी ग्वालियर रोड थाना सीपरी बाजार झांसी 2. अभिषेक पाठक पुत्र राकेश पाठक उम्र 31 वर्ष निवासी महेन्द्रपुरी कालोनी थाना सीपरी बाजार झांसी 3. रवि कुशवाहा निवासी पठोरिया थाना कोतवाली झांसी पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण अंशुमान सिंह एवं अभिषेक पाठक उपरोक्त को गिरफ्तार कर बरामद सामग्री व रूपयों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अंशुमान सिंह पुत्र श्री राजनाथ सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी महेन्द्रपुरी कालोनी ग्वालियर रोड थाना सीपरी बाजार झांसी
2. अभिषेक पाठक पुत्र राकेश पाठक उम्र 31 वर्ष निवासी महेन्द्रपुरी कालोनी थाना सीपरी बाजार झांसी

वांछित अभियुक्तः-

1. रवि कुशवाहा निवासी पठोरिया थाना कोतवाली झाँसी

बरामदगी का विवरणः-

1. 04 स्मार्ट मोबाईल फोन
2. जामातलाशी माल 5,320 रूपये
3. भिन्न भिन्न वेबसाइटों पर 8 करोड़ 5 लाख 49 हजार 138 क्वाईन
4. अभियुक्तों के 09 बैंक खातों से सट्टे के लेन देन से सम्बन्धित 1,80,000/- रूपये फ्रीज।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 जय प्रकाश चौबे, थाना सीपरी बाजार
2. उ0नि0 दिलीप कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी ग्वालियर रोड़ थाना सीपरी बाजार
3. उ0नि0 अनुराग शर्मा चौकी प्रभारी भोजला मण्डी, थाना सीपरी बाजार
4. उ0नि0 सचिन मिश्रा, थाना सीपरी बाजार
5. म0उ0नि0 वन्दना, थाना सीपरी बाजार

1. हे0का0 378 कर्मवीर सिंह, थाना सीपरी बाजार
2. हे0का0 290 देवेन्द्र कुमार, थाना सीपरी बाजार
3. का0 490 नवीन कुमार, थाना सीपरी बाजार
4. का0 817 अनिल कुमार, थाना सीपरी बाजार